"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003-20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2006—भाद्र 10, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2006

क्रमांक ई-01-02/2006/एक/2.—श्री नवल सिंह मण्डावी, भा.प्र.से (2000), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2006

क्रमांक ई-01-02/2006/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-7-2006 के द्वारा सुश्री अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004) को अनुविभागीय अधिकारी, कोंडागांव, जिला-बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, सुश्री अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, केशकाल, जिला-बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2006

क्रमांक ई-01-02/2006/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-8-2006 के द्वारा श्रीमती डी. अलेरमेलमंगई, भा.प्र.से. (/2004) सहायक कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी, केशकाल पदस्थ किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, बस्तर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2006

क्रमांक ई-7/5/2003/1/2.—श्री एस. के. केहरि, भा.प्र.से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 23-6-2006 से 29-7-2006 तक (37 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-7-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री केहरि, भा.प्र.से. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री केहरि, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केहरि, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2006

क्रमांक ई-7/10/2005/1/2.—श्री अजयपाल सिंह, भा.प्र.से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11-7-2006 से 3-8-2006 तक (24 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2006

क्रमांक ई-7/45/2004/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 31-5-2006 द्वारा श्री एम. के. पिंगुआ, भा.प्र.से., कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 12-6-2006 से 21-6-2006 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री पिंगुआ को दिनांक 22-6-2006 को एक दिवस का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2006

क्रमांक एफ 8-7/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बायलर क्रमांक-एम.पी./3656 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 26-7-2006 से 25-8-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 18 अगस्त 2006

क्रमांक 1150/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	बघेली प. ह. नं. 2	0.10	अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला जल संसाधन उप संभाग, क्र. 5, दुर्ग.	बघेली जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 9/ अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंधियारखोह	20.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सम्हरा जलाशय शीर्ष कार्य (डुबान क्षेत्र).

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2006

क्रमांक 14/ अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विलासपुर	पेण्ड्रारोड	नेवसा	13.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय की गोरखपुर एवं अमरेया टोला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2006

क्रमांक 17/ अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ मे)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गोरखपुर	7.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय गोरखपुर शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2006

क्रमांक 18/ अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंजनी	14.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मड़ना एवं गोरखपुर लघु नहर

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

क्रमांक 20/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	झगराखांड़	5.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	अंमहापारा माइनर एवं कन्हारी सब माइनर.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

क्रमांक 21/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को उसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	तेन्दुमूड़ा	5.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय की कन्हारी सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2006

क्रमांक 10/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित धारा 17 (4) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सैदा	5.48	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बिलासपुर.	पेंड्रीडीह-सकरी बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2006

क्रमांक 11/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित धारा 17 (4) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बेलमुंडी	9.20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बिलासपुर.	पेंड्रीडीह-सकरी बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2006

क्रमांक 12/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित धारा 17 (4) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	संबलपुरी	5.85, 1/2	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बिलासपुर.	पेंड्रीडीह-सकरी बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2006

क्रमांक 13/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित धारा 17 (4) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	पांड़	5.20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बिलासपुर.	पेंड्रीडीह-सकरी बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2006

क्रमांक 14/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित धारा 17 (4) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सकरी	5.12	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बिलासपुर.	पेंड्रीडीह-सकरी बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2006

क्रमांक 15/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित धारा 17 (4) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	अमसेना	10.73	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बिलासपुर.	पेंड्रीडीह-सकरी बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2006

क्रमांक 16/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित धारा 17 (4) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बोड़सरा	15.78	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बिलासपुर.	पेंड्रीडीह-सकरी बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 अगस्त 2006

क्रमांक /6478/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लाल बहादुर नगर, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	715	0.052
योग	1	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खातू टोला बैराज के शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 अगस्त 2006

क्रमांक/1113/अ-82/सन् 2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-संबलपुर, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1289/1	0.13
	983	0.31
	911	0.01
योग		0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोंहदीपाट परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 14 अगस्त 2006

क्रमांक/ 842/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर

(ख) तहसील-उत्तर बस्तर, कांकेर

(ग) नगर/ग्राम-गौरगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.60 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
544	0.09
534	0.06
420/2	0.05
413	0.07
412	0.03
540	0.10
532	0.06
417	0.02
415	0.05
410	0.14
536	0.06
409	0.13
418	0.01
414	0.05
407	0.09
421	0.02
535	0.06
420/1	0.26
416	0.14
411	0.01
406	0.06
408/4	0.04
योग	1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 2/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को उस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-कोरजा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.842 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59/30	0.474

	(1)	(2)
	59/29	0.368
योग	2	0.842

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गांगपुर जलाशय स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 8/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पकरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.307 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	151/10	0.975
	146	0.332
योग	2	1.307

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 17/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-देवरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.486 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
232/1 ख	0.089
230/2, 231	0.101
229, 230/1	0.299
222/2, 223/9	0.069
222/8, 223/8	0.101
202/1	0.024
149/1	0.093
149/5	0.065
149/7	0.085
201/1 म	0.138
201/1 य	0.093
332/5	0.053
858, 859/4	0.101
201/1 त	0.109
596/1	0.020
773/1 ड	0.085
762/7	0.138
762/10	0.146
494	0.024
804, 805/1	0.117
555, 556	0.045
543/2	0.081
545/2	0.069

(1)	(2)
467/2, 467/3	0.190
805/2	0.093
469, 470	0.121
473	0.065
479/2	0.053
479/1	0.053
478	0.024
480, 481/1	0.129
773/2	0.036
482/1	0.049
486/1 क	0.073
487	0.045
810	0.077
809/1	0.077
809/2	0.077
773/1 ज	0.057
773/1 ग	0.069
773/1 झ	0.053
योग 41	3.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय योजना के पतरकोनी शाखा नहर, स्केप चेनल, देवरगांव उपशाखा नहर, गौरेला शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2006

क्रमांक 655/खनि.लि. 2/खुला घोषित/06.—छ. ग. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अन्तर्गत गौण खनिज चूना पत्थर के लिये निम्नांकित सारिणी में दर्शाया गया क्षेत्र छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन होने के 30 दिन पश्चात् उत्खनि पट्टे पर प्राप्त करने के लिए खुला घोषित किया जाता है.

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	खनिज का नाम (3)	खसरा नंबर (4)	रकबा (5)	पूर्व पट्टेदार का नाम/कारण (6)
1.	पेन्ड्रीतराई, प. ह. नं. 34 तहसील धमधा.	चूना पत्थर	441 भाग	2.00 हे.	श्री अब्दुल शमीम कुरैशी (कलेक्टर के आदेश दि. 18-7-2006 द्वारा पट्टा निरस्त)

सुब्रत साहू,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2006

क्र./4257/खनि/06.— आवेदक मनप्रीत सिंह आ. खेम सिंह को ग्राम दुर्गडीह स्थित ख. नं. 139/1 रकबा 3.30 ए. भूमि पर चूना पत्थर उत्खनि पट्टा दिनांक 01-09-2000 से 31-08-2005 तक की अवधि के लिये स्वीकृत थी. वर्तमान में लीज की अवधि समाप्त हो गई है. एवं बकाया रायल्टी राशि जमा किया जा चुका है. आवेदित क्षेत्र शासकीय भूमि है.

अत: छ. ग. गौण खनिज नियम 12 के तहत क्षेत्र खुला घोषित किया जाता है.

विकासशील,
कलेक्टर.